



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267490  
CG-DL-E-08112025-267490

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947

No. 328]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

फा. सं. ए.12011/01/2025-सीएचएस-I.— दिनांक 20.08.2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2025 के नियमों के अनुशेष के संदर्भ में "टाई ब्रेकिंग सिद्धांत" के पैरा (ख) (ii) में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:

के स्थान पर	पढ़ा जाए
बिंदु (ख) (ii): यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो कम आयु वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी	बिंदु (ख) (ii): यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी

निखिल गजराज, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 6th November, 2025

**F. No. A.12011/01/2025-CHS-I.**—The following changes are hereby made in Para (B) (ii) of the addendum i.r.o. 'Tie-Breaking Principle' to the Rules of Combined Medical Services Examination, 2025 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary dated 20.08.2025:-

<b>For</b>	<b>Read</b>
<b>Point (B)(ii):</b> If the marks at (i) above are equal, the candidate younger in age will be ranked higher	<b>Point (B)(ii):</b> If the marks at (i) above are equal, the candidate senior in age will be ranked higher

NIKHIL GAJRAJ, Jt. Secy.